कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा सचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक **E675672/I/1130732/2026** दिनांक **01-07-2026**

प्रति

प्राचार्य,
रामस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त/
अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश

विषयः सत्र 2026-26 हेतु द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष व स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण संबंध में।

संदर्भ-उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क. 1/968844/2026/सीसी/ 2026/38 दिनांक 24.6.2026

उपर्युक्त आदेश के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की प्रवेश नियमावली, मार्गदर्शी सिद्धांत एवं ऑनलाइन प्रवेश **समय-सारणी** जारी की गई है।

मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों का प्रवेश नवीनीकरण विभागीय ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से किया जाना निर्धारित है।

अतः स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश नवीनीकरण विभागीय **ई-प्रवेश पोर्टल** के माध्यम से अनिवार्य रूप से दिनांक **31 जुलाई, 2026** तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Prabal Sepaha
Date: 01-07-2026
19:28:53

आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
2 स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक संचालक, उच्च शिक्षा मध्यपदेश
4. कुलसचिव, समस्त संबंधित विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश
5. प्राचार्य, समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आईटी शाखा, उच्च शिक्षा भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
7. प्रवेश एजेंसी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु